



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 97RAJ14018

पजाकृत पावता
उल्लंघन पत्र
माखुपूर औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : RAJ/JSL-34/SE-20
प्रेषित : Shri Ramswaroop Meghwal S/o Sh. Parsa Ram,
359, Gotan, Tehsil-Merta
District-Nagaur(Rajasthan) 341510
E-mail: ramswaroopm1978@gmail.com

दिनांक : 02.03.2021

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Sajit Siliceous Earth Mine** (M.L. 161/2013, Lease area 4.3630 Hect.) in Jaisalmer District of Rajasthan State.
महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 12.02.2021 by the undersigned in presence of Shri Ramswaroop Meghwal, Mine Owner:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Mining Plan(Approved on 03.03.2015): - (i) During the year 2019-20 total 25 saplings was proposed over an area 75 square meter but no such plantation was observed.
26 (2)	A yearly report to be submitted before 1 st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not been submitted to this office for the year 2019-20.
Rule 45(7)	In annual return 2019-20 following discrepancies were observed: 1) Lease area utilization at the end of year in part I is not matching with approved mining plan.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जैसलमेर।
- 4 रक्षित पत्रावली।

भवदीय
रिश्त सहायक खान नियंत्रक
(डी. आर. मुर्जर)
02/03/2021
भारतीय खान ब्यूरो

रिश्त सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो